पाँच रुपये
FIVE RUPEES

(37)

न्यायालय माननीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश केम्प उज्जैन म०प्र०

प्रकरण क्रमांक- /20006, निगरानी

R 1703-I/2006

प्रेमनारायण पिता मानसिंह
निवासी-छावनी आगर जिला-शाजापुर म०प्र०
---------- प्रार्थी

// विरुद्ध //

1- अमरा पिता भैरू जी
2- लीलाबाई पत्नि अमरा जी
निवासीगण-ग्राम-नरवर तहसील आगर जिला शाजापुर
3- मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार आगर
जिला-शाजापुर म०प्र०
---------- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता-1959, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन संभागउज्जैन प्रकरण क्रमांक-157/05-06, अपील के आदेश दिनांक-28-8-06 से दुखित होकर निगरानी ।

माननीय महोदय,

प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नलिखित अनुसार सादर प्रस्तुत कर निवेदन है कि ::--

1- यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, ग्राम-नरवल तहसील आगर मे भूमि सर्वे नं0-2250, रकबा-0-61 आरे स्थित है जिसमे से 0-22 आरे भूमि पर प्रार्थी का जमींदारी समाप्ति के पूर्व से अपने पिता के समय से कब्जा होकर कृषि करता आ रहा है । तहसीलदार महोदय आगर के द्वारा उक्त आरे 0-22 का पट्टा प्रतिप्रार्थीगण को प्रदान कर दिया गया है जिसमे प्रार्थी को भी कोई सूचना नही दी गयी है तथा कई अनीयमितताएँ पट्टे वितरण मे की गयी है । अनियमितता होने से प्रार्थी ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय आगर जिला-शाजापुर मे प्रस्तुत की जो स्वीकार की गयी । उपरोक्त आदेश की द्वितीय अपील आयुक्त महोदय उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत हुई जिसमे दिना 28-8-2006 को आदेश पारित किया तहसीलदार आगर का आदेश स्थिर र
... अनुविभागीय अधिकारी आगर का आदेश निरस्त किया गया जिससे

9-6-15

आवेदक की ओर से सूचना
उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। पूर्व
पेशी दिनांक 25.2.15 को आवेदक
अभिभाषक उपस्थित थे। आवेदक
अभिभाषक ने आगामी पेशी दि0
26.5.15 नोट की थी। इसके उपरान्त
पेशी पर उपस्थित नहीं हुए। दि 26.5.15 को
पेशी उप प्रभारी द्वारा बढ़ाई गई। आवेदक उप0
नहीं। आज पुनः आवेदक एवं उनके अभि [illegible]
पर पुकार लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण
आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में
खारिज किया जाता है [illegible]।

हस्ताक्षर